न्यायिक अवमानना क्यों चर्चा में है?

- कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि- 'इस देश में एक कानूनी तंत्र है, जिसमें हर किसी को अपनी आवाज उठाने की 100% (फीसदी) आजादी है। यह बिल्कुल साफ है कि भाजपा इन सभी संस्थाओं एवं व्यवस्थाओं में अपने लोगों को बैठा रही है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वे इस देश के संस्थागत ढांचे को छीन रहे हैं।'
- इस इंटरव्यू को अटार्नी जनरल के वेणुगोपाल के सामने पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए वकील विनित जिंदल ने राहुल गांधी के खिलाफ अपराधिक अनमानना कार्यवाही शुरू करने की इजाजत मांगी थी। विनित जिंदल ने कहा कि राहुल गांधी के यह बयान भारतीय न्यायपालिका के खिलाफ हैं और उसकी गरिमा को धूमिल करने वाली है।
- वकील ने कहा कि राहुल गांधी देश की न्यायिक प्रणाली पर लांछन लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी के मामले में शीर्ष अदालत ने भविष्य में सतर्क रहने की चेतावनी देकर उनके अवमानना के खिलाफ मामला बंद कर दिया था।
- सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के कानून की धारा-15 और नियमावली के नियम-3 के तहत अवमानना की कार्रवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय या सॉलिसिटर जनरल की सहमति आवश्यक होती है।
- अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला चलाने की इजाजत नहीं दी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि राहुल गांधी के बयानों में न्यायपालिका का सामान्य संदर्भ में था और इससे लोगों की नजर में संस्था की गरिमा कम नहीं हुई है।
- **न्यायालय की अवमानना-**
- न्यायालय विधि की व्यवस्था को बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए न्यायालय की गरिमा और उस पर लोगों का भरोशा होना अनिवार्य है। इसी अनिवार्यता को बनाये रखने के लिए न्यायालय की अवमानना की धारणा विकसित हुई है। इसके तहत न्यायालय दोषी व्यक्ति को सजा देने का अधिकार रखता है।
- न्यायालय की अवमानना संबंधी अधिकार को कानूनी मान्यता देने के लिए न्यायिक अवमानना अधिनियम, 1971 को लाया गया है। इसका उद्देश्य न्यायालय की गरिमा और महत्व को बनाये रखना है।
- अवमानना संबंधी न्यायालय की शक्तियाँ न्यायाधीश को भय और पक्षपात के बिना अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में मदद करती है।
- न्यायिक अवमानना अधिनियम, 1971 **(Contempt of Court, 1971)** के अनुसार न्यायालय की अवमानना का अर्थ किसी न्यायालय की गरिमा तथा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के खिलाफ अनादर प्रदर्शित करता है। जैसे- न्यायिक आदेश की अवहेलना या आदेश का अनुपालन सुनिश्चित न करना इसी श्रेणी में आता है।
- **प्रकार-**
- न्यायिक अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा **2(A)** के तहत अवमानना के सिविल **(Civil)** और अपराधिक **(Criminal)** अवमानना के रूप में विभाजित किया गया है।

1. सिविल अवमानना- न्यायिक अवमाना अधिनियम, 1971 की धारा **2 (B)** के अंतर्गत न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश, रिट अथवा किसी प्रक्रिया की जानबूझकर की गई अवज्ञा या उल्लंघन को सिविल अवमानना कहा जाता है।
2. अपराधिक अवमानना- अधिनियम की धारा **2(c)** के अंतर्गत न्यायालय की अपराधिक अवमानना का अर्थ न्यायालय से जुड़ी किसी ऐसी बात के प्रकाशन से है जो लिखित, मौखिक, चिन्हित, चित्रित या किसी अन्य माध्यम या तरीके से न्यायालय की गरिमा को क्षति पहुँचाती हो, न्यायालय की अवमानना करती है।

- न्यायिक अवमानना अधिनियम, 1971 न्यायालय को निर्देश या आदेश की अवमानना करने या जानबूझकर अवज्ञा करने पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने की शक्ति प्रदान करता है। न्यायालय इसका प्रयोग न्यायाधीशों के खिलाफ भी कर सकता है। जैसे कि- सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना पर न्यायाधीश सी.एस. कर्णन को छह माह काकारावास का दंड मिला था।
- न्यायिक अवमानना की शक्ति न्यायपालिका की विश्वसनीयता और दक्षता को बनाये रखने में सहायक होती है।
- न्यायालय की अवमानना की शक्ति विविध के समक्ष समता को लागू करती है तथा न्यायालय को अपने आदेशों का बलपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करवाने की शक्ति प्रदान करती है।
- न्यायिक अवमानना (संशोधन) अधिनियम, 2006 के द्वारा 1971 के अधिनियम में सत्य **(Truth)** और सुविश्वास **(Good Faith)** जैसे प्रावधानों को जोड़ा गया।
- यह शब्द व्यक्ति को अपने बचाव के लिए आधार प्रस्तुत करने की शक्ति देते हैं। व्यक्ति या सिद्ध कर सकता है जो बोला गया, किया गया उसमें उसकी मंशा क्या थी, कितना सत्य था।
- अवमानना के दोषी व्यक्ति को सजा सुनाने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को है। दंड 6 माह का साधारण कारावास या 200 तक जुर्माना या दोनों एक साथ हो सकते हैं।
- वर्ष 1991 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट कर दिया है कि उसके पास देश के सभी उच्च न्यायालयों, अधिनस्थ न्यायालयों तथा अधिकरणों की अवमानना के मामले में भी दंडित करने की शक्ति प्राप्त है।
- **न्यायिक अवमानना अधिनियम का संवैधानिक स्रोत-**
- न्यायपालिका को इस संदर्भ में शक्ति संविधान के निम्न अनुच्छेदों से प्राप्त होती है।

1. अनुच्छेद-129 उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसे अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होगी।
2. अनुच्छेद-142(2)- अवमानना के आरोप में किसी भी व्यक्ति की जांच तथा उसे दंडित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को सक्षम बनाता है।
3. अनुच्छेद-215- प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। उच्च न्यायालयों को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है।

➤ **न्यायिक अवमानना के उदाहरण-**

1. हीरालाल दीक्षित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य-1954- इस मामले में कोर्ट ने कहा कि न्याय के प्रशासन में वास्तविक बाधा या रूकावट एक आवश्यक शर्त नहीं है, ऐसा कोई भी कार्य जो अपमानजनक हो सकता है, जिससे न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुँचती है, न्यायिक अवमानना हो सकती है।
2. के. दफ्तरी बनाम ओ.पी. गुप्ता वाद 1971 में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी कार्य जो आम जनता के मन में न्यायपालिका के खिलाफ विश्वास को कम करता है या न्याय के प्रशासन में बांधा उत्पन्न करता है उसे अनुच्छेद-129 व अनुच्छेद 142 के साथ पढ़ा जायेगा और न्यायिक अवमानना का कृत्य माना जायेगा।
3. वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्तम न्यायधीशों द्वारा एक प्रेस-कांफ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसे न्यायिक अवमानना का आधार नहीं माना गया था बल्कि इसे अनुच्छेद **19(1)(A)** के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग माना गया था।

➤ **संबंधित चिंताए-**

➤ इससे अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगता है, और न्यायालय की कार्यप्रणाली के खिलाफ बात करने पर रूकावट उत्पन्न होती है।

- कानून के माध्यम से न्यायालय द्वारा अपनी आलोचना करने वाले व्यक्ति की आवाज को दबाया जा सकता है।
- इसे लोकतांत्रिक लोकाचार के विरूद्ध माना जाता है क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र में रचनात्मक आलोचना बहुत महत्वपूर्ण होती है।
- इसमें व्यक्ति के रक्षापायों का अभाव है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है।
- ब्रिटेन के साथ-साथ कई देशों में इसे समाप्त कर दिया गया है।